[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 64/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

सा.का.नि.____ (अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में की किसी इकाई या किसी विकासकर्ता द्वारा आयात किए गए सभी माल को, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्गृहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है ।

[फा.सं.डीजीईपी/एसईजेड/09/2017]

(धर्मवीर शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार